न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 153/2024

01. सुनीलकुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी चक 6 केजेडी ए तहसील खाजूवाला
.....अपीलान्ट

बनाम

01 अमितादेवी पुत्र नत्थुराम पत्नी गोरधनराम जाति जाट निवीी मघेवाल ढाणी उप तहसील जैतसर जिला श्रीगंगानगर
02. ओमप्रकाश पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी चक 6 केजेडी ए तहसील खाजूवाला
03. मायादेवी पुत्री नत्थूराम पत्नी हरिराम गोदारा जाति जाट निवासी दक्षिण विस्तार पवनपुरी बीकानेर
04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला
.... रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट
आदेश **दिनांक :– 07.01.26**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री पुरूषोतम सारस्वत अन्तर्गत धारा 75 एल. आर एक्ट प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि अपीलांट के पिता नत्थूराम पुत्र नानकराम के नाम चक 4 केजेडी मु0नं0 81/4 के किला नं0 16, 23 ता 25 तादादी 04.00 बीघा व चक 6 केजेडी ए मु0नं0 81/5 के किला नं0 4 ता 6 तादादी 03.00 बीघा, मु0नं0 81/12 के किला नं0 23 ता 25 तादादी 03.00 बीघा, मु0नं0 81/13 के किला नं0 1 ता 5, 8 में 10 बिस्वा, 9, 10, 12 सालम, 13 में 10 बिस्वा तादादी 09.00 बीघा, मु0नं0 81/14 के किला नं0 3 तादादी 01.00 बीघा कुल तादादी 20.00 बीघा स्वअर्जित खातेदारी दर्ज कागजात थी। पिता ने अपने जीवनकाल में पारिवारिक व्यवस्था अनुसार चार वारिसो में सम्पति का बंटवारा कर दिया। बड़े पुत्र ओमप्रकाश को अलग से भूमि दे दी और दोनो पुत्रियों को सामर्थ्य अनुसार दान दहेज देकर शादियां कर दी तथा पुत्र सुनील अपीलांट व पत्नी रामेश्वरी को जैर अपील भूमि का कब्जा जीवनकाल में ही दे दिया तथा पिता व माता की अंतिम समय तक सेवा सुषमा अपीलांट ने ही की तो पिता ने खुश होकर उक्त भूमि की नोटेरी रजिस्टर्ड वसीयत अपीलांट व अपीलांट की माता रामेश्वरी के पक्ष में दिनांक 31.05.2008 को दो गवाहो की मौजूदगी में की थी। जिसमें अपीलांट को चक 4 केजेडी के मु0नं0 81/4 के किला नं0 16, 23 ता 25 तादादी 04.00 बीघा एवं 6 केजेडी ए मु0नं0 81/5 के किला नं0 4 ता 6 तादादी 03.00 बीघा, मु0नं0 81/12 के किला नं0 23 ता 25 तादादी 03.00 बीघा कुल तादादी 10.00 बीघा की वसीयत कर दी और शेष 10.00 बीघा की वसीयत माता रामेश्वरी के पक्ष में की और माता ने अपने हिस्से से अपने जीवनकाल में अपीलांट को 1/4 यानि मु0नं0 81/13 के किला नं0 1, 2 में 10 बिस्वा, 10 सालम, कुल 02.10 बीघा का कब्जा दे दिया और और का देहान्त मार्च 24 व पिता का देहान्त दिनांक 10.05.2018 को हो गया। जैर अपील भूमि पर अपीलांट लगभग 20–22 सालों से लगातार उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। फिर भी इकतरफा तौर पर उक्त जैर अपील आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के हको पर कुठाराघात किया है। वसीयतकर्ता ने वसीयत में साफ लिख दिया था कि मेरी खातेदारी भूमि है तथा मैं स्वेच्छा से अपने पुत्र व पत्नी को किला नं0 खोलते हुए वसीयत की थी। कुल 20.00 बीघा की वसीयत रूबरू गवाहान अपने पुत्र व पत्नी को जैर अपील भूमि के एकमात्र मालिक काबिज अधिकारी घोषित कर दिया था। अन्य किसी का कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं होगा तथा रेस्पो0 को इस बात की जानकारी रही है और अपीलांट ने माता के जीवनकाल में उक्त वसीयत की पेरोकारी नहीं कर सका और अब जब माता का देहान्त हुआ और परिवार में सुगबुहाहट हुई तो दिनांक 24.10.24 को प्रार्थनापत्र तहसीलदार को देकर वसीयतन इन्तकाल दर्ज करवाने का निवेदन किया और दिनांक 11.11.24 को पटवारी रिपोर्ट करवाने गया तो पटवारी हल्का ने कहा उक्त भूमि पर विरासतन इन्तकाल दिनांक 28.10.24 को दर्ज हो गया है और अन्य वारिस रहन के कागजात बनवा रहे है जानकारी में आया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण जैरकार रहते, बिना काबिज काश्तकार को सुने, सूचना दिये इकतरफातौर पर उक्त जैर अपील आदेश पारित कर दिया और जैर अपील आदेश से सबके नाम बहिस्सा बराबर दर्ज कर दी गयी जो आदेश स्वतःशुन्य, निष्प्रभावी एवं खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जैर अपील आदेश पारित करते समय वसीयत पर तनिक भी गौर

नहीं किया और अधीनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन में नियम कायदों को ताक पर रखकर उक्त जैर अपील आदेश पारित कर अपीलांट के हको पर कुठाराघात किया है जो कतई मैण्टेन रखने योग्य नहीं है तथा रेस्पो0 सं0 2 को पिता ने अलग से भूमि दे दी और वह कभी माता पिता के जीवित अवस्था में भी उनके दुख–सुख में हिस्सेदार नहीं बने और ना ही कभी मौका कब्जा पर आये और ना ही सुधार कार्यो पर धन खर्च किया। अब लालचवश इस बात का ध्यान होते हुए भी कि उक्त भूमि की वसीयत अपीलांट के नाम फिर भी साठ–गांठ कर जैर अपील आदेश पारित करवा लिया जो मजमेआम में पढ़कर नहीं सुनाया और वह स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में ही नहीं है काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आनन–फानन में दर्ज कर दिया जबकि विरासतन का इन्तकाल मजमेआम में पढ़ा जाकर प्रस्ताव लिया जाकर पारित किया जाना चाहिए था तथा जैर अपील भूमि पर अपीलांट वसीयत अनुसार काबिज है। राजस्व लैण्ड मैन्युवल में ग्राम पंचायत या तहसीलदार को प्रस्ताव लेकर आम सभा लेकर सभा में पढ़कर इन्तकाल स्वीकृत करने का अधिकार है तथा राजस्व ग्रुप 6 विभाग राज. जयपुर के पत्रांक/एफ–6 8 राज–6/98 दिनांक 15.03.08 से निर्देष्ट किया गया है कि अधिसूचित क्षेत्रों में नामान्तरण खोलने से पूर्व राज. भू राजस्व भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 133 क की पूर्णतः पालना की जावे एवं केवल रजिस्ट्रीशुदा दस्तावेजों में कब्जा स्थानांतरण का अंकन हो जाने मात्र को कब्जे का वास्तविक हस्तानान्तरण नहीं माना जावे। अपितु पटवारी मौके की स्थिति के अनुसार कब्जा दिये जाने की जांच पक्की तरह से कर लेवे। यदि कब्जा सिद्ध नहीं होता है तो नामान्तरण निरस्त कर दिया जाना चाहिए और उक्त प्रकरण में कब्जा आज दिनांक तक अपीलांट के पास है जो स्पष्ट विधि विरूद्ध और शून्य आदेश है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है ताकि अपीलांट के हको पर कुठाराघात ना हो सके और वह वसीयत अनुसार दर्ज करवाने के हकदार है। अपीलांट निरन्तर प्रयासरत रहा है तथा जैर अपील आदेश विवाद रहते विधिविरूद्ध दर्ज किया गया है और वसीयत प्रकरण आज दिनांक पेण्डिंग है ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं है काबिल खारिजी है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील आदेश स्वीकृत दिनांक 28.10.24 इ.सं0 320 दिनांक 30.09.24 को निरस्त कर अपीलांट के नाम वसीयत दिनांक 31.05.2008 के अनुसार चक 4 केजेडी मु0नं0 81/4 के किला नं0 16, 23 ता 25 तादादी 04.00 बीघा का इंतकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस भिजवाने पर रेस्पो0 सं0 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भीमसिंह डूकिया ने उपस्थित आए। पत्रावली पर सुना गया।

सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट ने बताया कि उक्त जैरअपील आदेश एकतरफातोर पर पारित हुआ है और जानकारी के अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाना है।

दौराने बहस अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुवे अपील अपीलांट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है। रेस्पो0 अधिवक्ता ने वसीयत निरस्तीकरण प्रलेख की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वसीयत प्रकरण पर तहसील खाजूवाला सुनवाई होकर प्रकरण निरस्त किया जा चुका है। चूंकि अपीलांट द्वारा वर्णित वसीयत निरस्त की जा चुकी थी इसलिए वसीयत के आधार पर कोई कार्यवाही संभव नहीं थी। अपीलांट ने न्यायालय को गलत तथ्य प्रस्तुत कर वसीयत के आधार पर उक्त अपील प्रस्तुत की जो कि खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवलोकनानुसार अपीलांट अपील मीमों को साबित करने में असफल रहा है। अतः अपील सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)